



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 88 राँची, मंगलवार, 1 फाल्गुन, 1945 (श०)
20 फरवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 दिसम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-3/2023- 25453 (HRMS)--श्री असीम बड़ा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-462/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, तिसरी, गिरिडीह के विरुद्ध उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-84/स्था०, दिनांक 18.01.2023 द्वारा इनको निलंबित करने की अनुशंसा करते हुए प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 18.01.2023 को माननीय मुख्यमंत्री की जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में Revenue Court Monitoring System की समीक्षा के क्रम में अंचल कार्यालय, तिसरी की लंबित मामलों की संख्या-13 (दाखिल खारिज मामलों को छोड़कर) एवं निष्पादित मामलों की संख्या-0 (शून्य) रहने, जिसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अत्यंत गंभीरता लिया गया है।

उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-2506(HRMS), दिनांक 24.01.2023 द्वारा श्री बड़ा को निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-574, दिनांक 25.01.2023 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से आरोप पत्र की माँग की गयी। श्री बड़ा के पत्र, दिनांक 18.07.2023 द्वारा समर्पित

अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-24668(HRMS), दिनांक 20.10.2023 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया ।

उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-2682, दिनांक 12.10.2023 द्वारा श्री बड़ा के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोप पत्र में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है-

आरोप- श्री असीम बड़ा, अंचल अधिकारी, तिसरी, द्वारा दिनांक 18.01.2023 को माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड की जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में Revenue Court Monitoring System की समीक्षा के क्रम में अंचल कार्यालय, तिसरी की लंबित मामलों की संख्या-13 (दाखिल खारिज मामलों को छोड़कर) एवं निष्पादित मामलों की संख्या-0 (शून्य) रहने के कारण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अत्यंत गंभीरता लिया गया ।

श्री असीम बड़ा द्वारा नामांतरण वाद (Jharbhoomi Portal पर) एवं भूमि सीमांकन वाद का निष्पादन सेवा के गारंटी अधिनियम, 2005 के अनुरूप ससमय किया गया है। अन्य विविध वाद (e-Revenue Court Monitoring Portal पर) का संख्या काफी कम एवं वादी-प्रतिवादी का न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण मामले का निष्पादन लम्बित प्रदर्शित हो रहा था। विदित हो कि e- Cause list प्रतिमाह Generate कर राजस्व न्यायालय नियमित रूप से किया जा रहा था। परन्तु वित्तीय वर्ष 2022-23 में पारित आदेश/कार्रवाई को e-Revenue Court Monitoring Portal पर ससमय अपलोड नहीं करना उनके पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है ।

श्री बड़ा के विरुद्ध उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा गठित आरोपों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि प्राप्त आरोप पत्र में कोई विशिष्ट आरोप अंकित नहीं है, क्योंकि आरोप पत्र में ही अंकित है कि नामांतरण वाद (Jharbhoomi Portal पर) एवं भूमि सीमांकन वाद का निष्पादन सेवा के गारंटी अधिनियम, 2005 के अनुरूप ससमय किया गया है, अन्य विविध वाद (e-Revenue Court Monitoring Portal पर) का संख्या काफी कम एवं वादी-प्रतिवादी का न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण मामले का निष्पादन लम्बित प्रदर्शित हो रहा था एवं e-Cause list प्रतिमाह Generate कर राजस्व न्यायालय नियमित रूप से किया जा रहा था। परन्तु वित्तीय वर्ष 2022-23 में पारित आदेश/कार्रवाई को e-Revenue Court Monitoring Portal पर ससमय अपलोड नहीं किया गया है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री असीम बड़ा, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-462/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, तिसरी, गिरिडीह को कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव के लिए उन्हें भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है। साथ ही, इनके निलंबन अवधि दिनांक 24.01.2023 से दिनांक 20.10.2023 तक को कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री असीम बड़ा, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ASIM BADA JHK/JAS/189	श्री असीम बड़ा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-462/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, तिसरी, गिरिडीह को कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव के लिए उन्हें भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है। साथ ही, इनके निलंबन अवधि दिनांक 24.01.2023 से दिनांक 20.10.2023 तक को कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
